कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–27/2021 434 दिनांक :– 15.07.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत राष्ट्रीय बाँस मिशन (60:40) के तहत स्थापित आधुनिक स्थायी पौधशाला एवं लघु पौधशाला में उन्नत पौधों को तैयार करने का कार्य का द्वितीय वर्ष हेतु कुल **रू0 17.650 लाख (सत्रह लाख पैंसठ हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–06/2021–31/स्वी0 व0प0 दिनांक–04.02.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या–4/यो0ब0–06/2021–16/आ0 व0प0 दिनांक–29.06.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101–वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–39–स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **17.650 लाख (सत्रह लाख पैंसठ हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101390101O3	14.408
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110139010323	3.242
कुल :–		**17.650**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

उच्च गुणवता वाले ग्राफ्टिंग पौधों की तैयारी हेतु फलदार पौधों का नर्सरी कार्य हेतु राशि की मांग मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 289 दिनांक–01.07.2020 के अनुसार किया गया है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110139010103 तथा 19S24060110139010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 1800/वि0, दिनांक–15.07.2003 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

9. साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से सीड़ आर्चड में रोपित किए जाने वाले पौधों की प्रजाति एवं उसके बीज श्रोत का अनुमोदन भी प्राप्त करके राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिन्हित किए गए बीज उत्पादन क्षेत्र के संबंध में स्थल, उसमें उपलब्ध वृक्षों की संख्या, उसकी स्थिति एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर उसे बीज उत्पादन क्षेत्र बनाने योग्य मापदण्डों पर समीक्षा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मज़दूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–27/2021–** 434 **दिनांक–** 15.07.22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ जमशेदपुर/ बोकारो/ एनवीस सेन्टर, राँची/पू0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–27/2021–** 434 **दिनांक–** 15.07.22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ धनबाद/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022—23 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत राष्ट्रीय बाँस मिशन (60:40) के तहत स्थापित आधुनिक स्थायी पौधशाला एवं लघु पौधशाला में उन्नत पौधों को तैयार करने का कार्य का द्वितीय वर्ष का प्रमंडलवार उप—आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	2	7.211	1.853	9.064
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	0.5	2.399	0.463	2.862
3	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	0.5	2.399	0.463	2.862
4	विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर) प्रमंडल, दुमका	0.5	2.399	0.463	2.862
	कुल योग :—	**3.5**	**14.408**	**3.242**	**17.650**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2(क)

राष्ट्रीय बाँस मिशन (60:40) के तहत स्थापित आधुनिक स्थायी पौधशाला में एक लाख उन्नत पौधों को तैयार करने हेतु कार्य दर ।

पौधशाला का क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर ।

रूट ट्रेनर हाइकोपोट को स्टैंड सहित रखने हेतु बेड का साइज – 5.5 फीट × 40 फीट । 1 रूट ट्रेनर का आयतन – 300 सी.सी.

		1 Root Trainer (c.c.)	2000 Root Trainers (m3)	100000 Root Trainers (m3)
प्रत्येक बेड में पौधों की संख्या –	2800			
कुल बेडों की संख्या –	40			
प्रति स्टैंड रूट ट्रेनर हाइकोपोट की संख्या –	100			
कुल रूट ट्रेनर हाइकोपोट स्टैंड की संख्या –	1000	300	0.6	30

तैयार होने वाले पौधों की संख्या : 100000

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0) :– 326.85

हाइग्रोपिट अंकुरण बेडों की संख्या – 2

प्रजातियाँ – बाँस 50 प्रतिशत तथा शीशम, गम्हार, सागवान, आम, ऑवला, जामुन, कदम, कटहल, साल, सिधा, करंज, नीम बहेड़ा, हर्रा, खैर, बेल, सिरीस, छतवन, बीजासाल, अशोक, रक्तचंदन, करम, कुसुम, बेर, अर्जुन, कदम, महुआ, चिरौंजी, काला शीशम, इमली, आदि ।

क्र. सं.	कार्य का विवरण एवं Specifications	2 हेक्टेयर (1.0 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi
A	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 326.85**				
1	उन्नत वृक्षों से बीज संग्रहण/ क्रय	9.50	10000.00	3105.08	13105.08
2	बीज उपचार एवं रोपण, ढकना, कीटनाशक छिड़काव सहित	75.00	3957.15	24513.75	28470.90
3	रूट ट्रेनर में भरने हेतु सामग्री – कम्पोस्ट/गोबर खाद एवं मोटा बालू 1:1 के अनुपात में । लगभग 33 घनमीटर । बालू का साईज– 0.2 मि.मी से 2 मि.मी.,	0.00	30000.00	0.00	30000.00
4	1 लाख हाइकोट्यूब में भराई हेतु मिश्रण (छाने हुये बालू (0.2 से 2 मि.मी.), कम्पोस्ट) तैयार करना (बालू चालना एवं कम्पोस्ट/खाद को पीट कर चूरा बनाना तथा चालना एवं बालू तथा कम्पोस्ट (1:1 का अनुपात) को अच्छी तरह मिलाना एवं तैयार मिश्रण को 1 लाख रूट ट्रेनर मे भरना । बालू का साईज– 0.2 मि.मी. से 2 मि.मी. (20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	500.00	0.00	163425.00	163425.00
5	प्रिक आउट एवं ट्रांसप्लान्टिंग, औसतन प्रति 500 पौधों की बुनाई पर एक मानव दिवस	200.00	0.00	65370.00	65370.00
6	कोड़नी–निकौनी एवं पटवन, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य अक्टूबर से मार्च तक तीन व्यक्ति प्रतिदिन।	540.00	0.00	176499.00	176499.00
7	रासायनिक खाद, हारमोन, कीटनाशक, उपकरण, आदि।	0.00	20534.00	0.00	20534.00

क्र.	कार्य का विवरण एवं Specifications	2 हेक्टेयर (1.0 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रू० में)	मजदूरी (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
8	डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	0.00	100000.00	0.00	100000.00
9	सुरक्षा पर व्यय (दो व्यक्ति प्रति दिन 365 दिन)	730.00	0.00	238600.50	238600.50
10	पुआल, वानस्पतिक अवशेष, गोबर, सॉ डस्ट, राईस हस्क, आदि सामग्रियों को कम्पोस्ट पिट में डालना एवं थोड़े–थेड़े अंतराल में 6 बार मिलाना, पानी डालना, पुनः पिट में डालना, वर्ष में 6 बार।	122.00	10830.00	39875.70	50705.70
11	विविध व्यय, सूचना पट्ट, स्लोगन बोर्ड, सिंचाई व्यवस्था, (जल संग्रहण टैक्स, नाली, पाईप, आदि) तथा निरीक्षण पथ का संधारण, कच्चा नाली, आदि एवं जेनरेटर रुम – भंडार–टूल रुम का रख–रखाव कार्य	30.00	10000.00	9805.50	19805.50
	योग :–	**2206.50**	**185321.15**	**721194.53**	**906515.68**

15/7/22

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

राष्ट्रीय बाँस मिशन (60:40) के तहत स्थापित आधुनिक स्थायी पौधशाला में पचीस हजार उन्नत पौधों को तैयार करने हेतु कार्य दर ।

पौधशाला का क्षेत्रफल – 0.5 हेक्टेयर ।

रूट ट्रेनर हाइकोपोट को स्टैंड सहित रखने हेतु बेड का साइज – 5.5 फीट × 40 फीट । 1 रूट ट्रेनर का आयतन – 300 सी.सी.

प्रत्येक बेड में पौधों की संख्या –	2800	1 Root Trainer (c.c.)	2000 Root Trainers (m3)	100000 Root Trainers (m3)
कुल बेडों की संख्या –	10			
प्रति स्टैंड रूट ट्रेनर हाइकोपोट की संख्या –	100			
कुल रूट ट्रेनर हाइकोपोट स्टैंड की संख्या –	250	300	0.6	30

तैयार होने वाले पौधों की संख्या : 25000

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0) :– 326.85

हाइग्रोपिट अंकुरण बेडों की संख्या – 0.5

प्रजातियाँ – बाँस 50 प्रतिशत तथा शीशम, गम्हार, सागवान, आम, ऑवला, जामुन, कदम, कटहल, साल, सिधा, करंज, नीम

बहेड़ा, हर्रा, खैर, बेल, सिरीस, छतवन, बीजासाल, अशोक, रक्तचंदन, करम, कुसुम, बेर, अर्जुन, कदम,

महुआ, चिरौंजी, काला शीशम, इमली, आदि ।

क्र. सं.	कार्य का विवरण एवं Specifications	0.5 हेक्टेयर (0.25 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रू० में)	मजदूरी (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
A	वित्तीय वर्ष 2022–23 में (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 326.85				
1	उन्नत वृक्षों से बीज संग्रहण/ क्रय	2.38	2500.00	776.27	3276.27
2	बीज उपचार एवं रोपण, ढकना, कीटनाशक छिड़काव सहित	18.75	989.29	6128.44	7117.73
3	रूट ट्रेनर में भरने हेतु सामग्री – कम्पोस्ट/गोबर खाद एवं मोटा बालू 1:1 के अनुपात में । लगभग 33 घनमीटर । बालू का साईज– 0.2 मि.मी से 2 मि.मी.,	0.00	7500.00	0.00	7500.00
4	1 लाख हाइकोट्यूब में भराई हेतु मिश्रण (छाने हुये बालू (0.2 से 2 मि.मी.), कम्पोस्ट) तैयार करना (बालू चालना एवं कम्पोस्ट/खाद को पीट कर चूरा बनाना तथा चालना एवं बालू तथा कम्पोस्ट (1:1 का अनुपात) को अच्छी तरह मिलाना एवं तैयार मिश्रण को 1 लाख रूट ट्रेनर मे भरना । बालू का साईज– 0.2 मि.मी. से 2 मि.मी. (20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	125.00	0.00	40856.25	40856.25
5	प्रिक आउट एवं ट्रांसप्लान्टिंग, औसतन प्रति 500 पौधों की बुनाई पर एक मानव दिवस	50.00	0.00	16342.50	16342.50
6	कोड़नी–निकौनी एवं पटवन, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य अक्टूबर से मार्च तक।	135.00	0.00	44124.75	44124.75
7	रासायनिक खाद, हारमोन, कीटनाशक, उपकरण, आदि।	0.00	5133.50	0.00	5133.50

क्र.	कार्य का विवरण एवं Specifications	0.5 हेक्टेयर (0.25 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रू० में)	मजदूरी (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
8	डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	0.00	25000.00	0.00	25000.00
9	सुरक्षा पर व्यय (एक व्यक्ति प्रति दिन 365 दिन)	365.00	0.00	119300.25	119300.25
10	पुआल, वानस्पतिक अवशेष, गोबर, सॉ डस्ट, राईस हस्क, आदि सामग्रियों को कम्पोस्ट पिट में डालना एवं थोड़े–थेड़े अंतराल में 6 बार मिलाना, पानी डालना, पुनः पिट में डालना, वर्ष में 6 बार।	30.50	2707.50	9968.93	12676.43
11	विविध व्यय, सूचना पट्ट, स्लोगन बोर्ड, सिंचाई व्यवस्था, (जल संग्रहण टैंक्स, नाली, पाईप, आदि) तथा निरीक्षण पथ का संधारण, कच्चा नाली, आदि एवं जेनरेटर रुम – भंडार–टूल रुम का रख–रखाव कार्य	7.50	2500.00	2451.38	4951.38
	योग :–	**734.13**	**46330.29**	**239948.76**	**286279.05**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-27/2021/434 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110139010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37100	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	721,100.00 रुपये सात लाख इक्कीस हजार एक सौ
2	S 19 24060110139010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37101	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	239,900.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार नौ सौ
3	S 19 24060110139010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37102	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	239,900.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार नौ सौ

योग: रुपये बारह लाख नौ सौ 1,200,900.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 15/7/2022

पत्र संख्या : 01/YB-27/2021/434 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110139010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37103	DMKFOR004 AVIROOP SINHA D.F.O.W.F.P.DUMKA 03 - मजदूरी	239,900.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार नौ सौ
5	S 19 24060110139010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37105	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	185,300.00 रुपये एक लाख पिचयासी हजार तीन सौ
6	S 19 24060110139010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37107	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	46,300.00 रुपये छयालीस हजार तीन सौ

योग: रुपये सोलह लाख बहत्तर हजार चार सौ 471,500.00

क्रमिक योग: 1,672,400.00

15/7/2022

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 15/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-27/2021/434 दिनांक - 15-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110139010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37109	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	46,300.00 रुपये छयालीस हजार तीन सौ
8	S 19 24060110139010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	37111	DMKFOR004 AVIROOP SINHA D.F.O.W.F.P.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	46,300.00 रुपये छयालीस हजार तीन सौ

योग: रुपये स त्र ह लाख पैसठ हजार 92,600.00

क्रमिक योग: 1,765,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 15/7/2022